-प्रेस नोट-

दिनांकः 19.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमन्चा/01 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 मोबाइल फोन व घटनास्थल से 04 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराधिक घटनाओ की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार गौतम के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 18.09.2024 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बाईखेड़ी जंगल में कुछ संदिग्ध व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी और गन्ने खेत में घुस गये । पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए घेराबन्दी कर 01 शातिर **अभियुक्त जुबेर पुत्र बदरूद्दीन निवासी गढी दौलत थाना कांधला जिला शामली** को 01 तमंचा/01 खोखा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त जुबेर के 04 अन्य साथी घने अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे, जिनकी तलाश हेतु काम्बिंग की जा रही है तथा घटनास्थल से अभियुक्तगण की चार मोटरसाइकिलों को कब्जे में लिया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 325/24 धारा 109/111 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम जुबेर व 04 अन्य के विरूद्ध पंजीकृत किया गया । **अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिस पर जनपद शामली कई आपराधिक मामले दर्ज है।** गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त जुबेर ने पूछने पर बताया कि मैं कक्षा 8 वीं तक पढा हुआ हूँ मेरे खिलाफ थाना काँधला जिला शामली मे कई मुकदमे दर्ज है इसलिये मुझे अपनी सुरक्षा का खतरा रहता है। मैने अपनी सुरक्षा के लिये एक तमन्चा/कारतूस अपने दोस्त से 5000/- रूपये मे खरीदा था। मै व मेरे अन्य साथी जंगल ग्राम बाईखेडी मे आये हुए थे पुलिस को हमारी भनक लग गयी थी मैने वे मेरे साथियो ने अपनी जान बचाने के लिये पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। मेरे साथी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जुबेर पुत्र बदरुद्दीन निवासी गढी दौलत थाना कांधला जिला शामली।

बरामदगी का विवरणः-

- **01 तमन्चा/01 खोखा कारतूस 315 बोर**
- **01 मोबाइल फोन (APPLE IPHONE कम्पनी)**
- **01 मोबाइल फोन (TECNO KE 5 कम्पनी)**
- **04 मोटर साईकिल (02 अपाचे बिना नम्बर व 02 स्पलेण्डर बिना नम्बर)**

अभियुक्त जुबेर उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 71/23 धारा 147/148/323/336/341/427 भादवि चालानी थाना कांधला जिला शामली

2. मु0अ0सं0 91/23 धारा 147/148/323/452/504/506 भादवि चालानी थाना कांधला जिला शामली
3. मु0अ0सं0 647/16 धारा 307 भादवि चालानी थाना कांधला जिला शामली
4. मु0अ0सं0 653/16 धारा 25/3 आयुध अधिनियम चालानी थाना कांधला जिला शामली

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार चीमा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भड़ाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 791 राजीव कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का0 497 गौरव कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. का0 2501 प्रताप सिह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

दिनांक: 19.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 शातिर अन्तर्राज्यीय वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 03 मोटरसाइकिल व 02 अवैध चाकू बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार चैकिग संग्दिध व्यक्ति/वाहन अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर वाहन चोर/अभियुक्तगण **1. अताउर्रहमान उर्फ रहमान पुत्र नसीम नि0 ग्राम चाटका थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर व 2. सुहैल पुत्र शराफत नि0 ग्राम सिभालका जुनारदार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को जनता रोड पर ग्राम मढ का तिराहा पर भट्टे के पास को गिरफ्तार का गया । जिनके कब्जे/निशानदेही पर **02 अवैध चाकू व 03 चोरी की मोटरसाइकिल 1. चैसिस न0 MBLHA10AME9M06444 तथा इंजन न0 HA10EJE9L00017 स्पलैन्डर प्लस 2. चैसिस न0 MBLHAW110MHG86254 तथा इंजन न0 HA11EVMHG66216 स्पलैन्डर प्लस 3. UK17S2390 स्पलैन्डर प्लस** बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 393/24 धारा 317(2) बीएनएस व 411 भादवि धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हम दोनो ने दिनाँक 21.11.2023 को रात्रि में मधुवन पैलेस के सामने थाना जनकपुरी क्षेत्र से मो0सा0 UP 11 CC 8294 स्पलेण्डर प्लस चोरी की थी तथा दिनाँक 11.09.2024 को अम्बुजा सिमेन्ट सिकन्दरपुर के पास से थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड क्षेत्र से एक मो0सा0 UK17 S 2390 चोरी की थी दिनाँक 17.09.2024 को जीआरपी थाने के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे थाना सदर बाजार क्षेत्र से यूपी 11 AU 6037 को चोरी किया था जिसको आज हम बेचने के लिए जा रहे थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. अताउर्रहमान उर्फ रहमान पुत्र नसीम नि0 ग्राम चाटका थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
2. सुहैल पुत्र शराफत नि0 ग्राम सिभालका जुनारदार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास— अताउर्रहमान उर्फ रहमान

1. मु0अ0स0 393/24 धारा 317(2) बीएनस व 411 भादवि व 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली देहात स0पुर
2. मु0अ0स0 276/23 धारा 379 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर
3. मु0अ0स0 239/24 धारा 303(2)317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी सहारनपुर
4. मु0अ0स0 731/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना भगवानपुर जिला हरिद्वारा उत्तराखण्ड
5. मु0अ0स0 529/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर
6. मु0अ0स0 285/23 धारा 392/411 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर
7. मु0अ0स0 302/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना को0देहात सहारनपुर
8. मु0अ0स0 66/24 धारा 379/411 भादवि थाना मण्डी सहारनपुर

आपराधिक इतिहास— सुहैल

1. मु0अ0स0 276/23 धारा 379 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर
2. मु0अ0स0 393/24 धारा 317(2) बीएनस व 411 भादवि व 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली देहात स0पुर
3. मु0अ0स0 731/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना भगवानपुर जिला हरिद्वारा उत्तराखण्ड
4. मु0अ0स0 529/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर

बरामदगी वाहन

01 मो0सा0 UP11CC 8294 स्पलेण्डर प्लस थाना जनकपुरी से चोरी (मु0अ0स0-276/23 धारा 379 भादवि)

01 मो0सा0 UK17 S 2390 थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार (मु0अ0स0 731/24 धारा 303(2) बीएनएस)

01 मो0सा0 UP 11 AU 6037 थाना सदर बाजार से चोरी (मु0अ0स0 529/24 धारा 303(2) बीएनएस)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र सैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अभिषेक कुपशवाह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. है0का0 207 दिनेश कुमार, थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
4. है0का0 839 कपिल राणा थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
5. का0 1551 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 19.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा लूट के मुकदमें में वांछित शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू, 01 लूटा गया मोबाइल फोन व 01 चोरी मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 25.11.2023 को वादी श्री हर्ष पुत्र छोटेलाल निवासी ब्रह्मपुरी कालोनी बाबा लालदास रोड थाना मण्डी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल लूट कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 362/23 धारा 392 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए 01 शातिर लुटेरे/**अभियुक्त आदेश उर्फ विशाल पुत्र मामचन्द निवासी हिमामपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को पुराना चिलकाना अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **01 नाजायज चाकू, 01 लूटा गया मोबाइल फोन रेडमी-7 व 01 चोरी की मोटरसाइकिल** बरामद। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भा0द0वि0 की वृद्धि की गयी। चाकू की बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 357/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत किया गया। अभियुक्त से बरामद मोटरसाईकिल के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 505/24 धारा 303(2) बीएनएस का पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछने पर बताया यह मोबाइल मैने व मेरे दोस्त ने अब से लगभग 10 महिने पहले बाबालाल दास रोड पर शाम के समय छीना था तथा मोटरसाईकिल के बारे में पूछने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल मैने व मेरे दोस्त ने नबादा रोड थाना सदर बाजार पर गैरिज जिम के सामने से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आदेश उर्फ विशाल पुत्र मामचन्द निवासी हिमामपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः–

01 नाजायज चाकू

01 मोबाइल रेडमी-7

01 मोटरसाईकिल स्पलैन्डर

अभियुक्त आदेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 73/22 धारा 392/411 भा0द0वि0 नोएडा सैक्टर 58 गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 207/22 धारा 392/411 भा0द0वि0 नोएडा सैक्टर 58 गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 235/22 धारा 392/411 भा0द0वि0 नोएडा सैक्टर 58 गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 505/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 310 विपिन कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 2018 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. कां0 2402 हरिओम थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 11.09.2024 को वादी श्री शाकिब पुत्र शमशाद नि0 मौहल्ला गाड़ान कस्बा अम्बैहटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो0सा0 नं0 UP 11 BE 9492 स्पलेण्डर रंग काला को चोरी कर लेने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 318/24 धारा 303(2) भा0न्या0सं0 बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में लूट/चोरी/नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 19.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए 01 शातिर चोर/**अभियुक्त सावन पुत्र पंखीराम निवासी सलारपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को गंगोह तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी स्पलेण्डर मोटरसाइकिल UP11BE9492 रंग काला बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है, जिस पर जनपद के भिन्न-2 थानो पर लगभग आधा दर्जन मुकदमें दर्ज है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का बयानः- अभियुक्त सावन उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मै कक्षा 09 वीं तक पढ़ा हुआ हूँ मै नशा करने का आदी हूँ। मैनें ये मोटर साइकिल कस्बा अम्बेहटापीर से चोरी की थी, आज मैं मोटरसाइकिल को बेचने जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सावन पुत्र पंखीराम निवासी ग्राम सलारपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

01 स्पलेण्डर मोटरसाइकिल UP11BE9492 रंग काला

अभियुक सावन उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 70/22 धारा 25/4 आयुध अधिनियम चालानी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 148/22 धारा 307/506 भादवि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 150/20 धारा 188/269 भादवि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 116/23 धारा 25/3 आयुध अधिनियम चालानी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 69/22 धारा 63 आबकारी अधिनियम चालानी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 189/19 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार चीमा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 791 राजीव कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का0 497 गौरव कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर

दिनांकः -19.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 19.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त गौरव पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम पिलखनी थाना सरसावा सहानरपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 764/23 मु0अ0स0 332/22 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना सरसावा जिला सहारनपुर की नियत तिथि 19.09.2024 में ग्राम पिलखनी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गौरव पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम पिलखनी थाना सरसावा सहानरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 894 अंकित थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. हो0गा0 1873 प्रगट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः-19.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 19.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व मे मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित **अभियुक्त आदित्य कुमार उर्फ रोकी पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम गदरहेडी थाना सरसावा सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0सं0 010/2024 धारा 147/148/149/307/352/341/323/504/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर, मु0अ0सं0 011/24 धारा 147/148/149/504/307 भा0द0वि0 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर व मु0अ0सं0 255/24 धारा 126(2) ,115(2) ,109 , 61(2), 131 बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर में गुरूकुल स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आदित्य कुमार उर्फ रोकी पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम गदरहेडी थाना सरसावा सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0सं0 11/24 धारा 147/148/149/504/307 भा0द0वि0 चा0 थाना सरसावा
2. मु0अ0सं0- 255/24 धारा 126(2),115(2),109,61(2),131 बीएनएस चा0 थाना सरसावा
3. मु0अ0सं0 10/24 धारा 147,148,149,307,352,341,323,504,506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट चा0 थाना सरसावा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री निप्पी सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1050 नितिन कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 19.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा बैग छीनने की घटना में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 21.08.2024 को वादी ओमकारनाथ मिश्र पुत्र स्व0 भागवत मिश्र निवासी 16, विनय विहार हिम्मतनगर थाना सदर बाजार सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियो द्वारा वादी का बैग छीनकर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना पर मु0अ0स0 467/024 धारा 304(2) बीएनएस मे पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व लूट/चोरी/छिनैती की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए 01 वांछित **अभियुक्त दीपक पुत्र चमनलाल निवासी चुन्हेटी गाड़ा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को रेलवे कालोनी, रेलवे हास्पिटल रोड के कट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 650/- रूपये बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की वृद्धि की गयी। अभियुक्त को अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त दीपक उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैने व मेरे साथी ने आज से लगभग 01 महीने पहले शारदा नगर मे एक आदमी का बैग छीना था उस बैग मे से जो रूयपे मिले थे। उन्ही रुपयो से मेरे हिस्से मे 2500/- रुपये आये थे जो 650/- रूपये आपको मेरे पास से मिले है उन्ही पैसो में से बचे पैसे है। बाकी पैसे मैने अपने खाने पीने पर खर्च कर दिये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दीपक पुत्र चमनलाल निवासी चुन्हेटी गाडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त दीपक का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 365/19 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 65/15 धारा 4/25 आर्मस एक्ट व 398/ थाना सदर बाजार स0पुर। भादवि थाना रामपुर मनिहारन।
3. मु0अ0स0 61/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 81/2021 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 94/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 95/2021 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।
7. मु0अ0स0 185/19 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।
8. मु0अ0स0 225/21 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना सदर बाजार सहारनपुर।
9. मु0अ0स0 286/2023 धारा 392/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
10. मु0अ0स0 467/24 धारा 304 बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर।
11. मु0अ0स0 646/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
12. मु0अ0स0 657/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
13. मु0अ0स0 33/23 धारा 465 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर।
14. मु0अ0स0 167/19 धारा 379/411 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- 650 रुपये नकद बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. का0 2329 अनिल थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. का0 947 शान्तनु थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 19.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त शादाब उर्फ नाटी पुत्र जहीर नि0 गली न0 5 निकट उमर मस्जिद इन्द्रा चौक थाना मण्डी जनपद सहानरपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 736/23 व मु0अ0सं0 30/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट नियत दिनांक 08.10.2024 चालानी थाना मण्डी मा0 न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 12 सहारनपुर में मौ0 शाहबलोल निकट राजो वाली मस्जिद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शादाब उर्फ नाटी पुत्र जहीर नि0 गली न0 5 निकट उमर मस्जिद इन्द्रा चौक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री राजबहादुर राठी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 672 प्रदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 19.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 19.09.2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सोशल मीडिया के माध्यम से विद्वेष फैलाने वालो लोगो पर सतर्क दृष्टि ऱखकर हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले **अभियुक्त तनु टण्डन उर्फ अभय टण्डन पुत्र सतेन्द्र टण्डन निवासी मौहल्ला कायस्थवाडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को मौहल्ला कायस्थवाडा देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 527/2024 धारा 353(1)सी/356 बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

तनु टण्डन उर्फ अभय टण्डन पुत्र सतेन्द्र टण्डन निवासी मौहल्ला कायस्थवाडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. है0का0698 संदीप भाटी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. है0का0902 गोविन्द सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.07.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बावत अभियुक्त अर्जुन सिंह पुत्र यशपाल निवासी तिलफरा ऐनाबाद थाना ननौता जिला सहारनपुर द्वारा शादी का झाँसा देकर वादिया के साथ दुष्कर्म करने की सूचना पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 182/24 धारा 376/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व मे आज दिनाँक 19.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म के वांछित **अभियुक्त अर्जुन सिंह पुत्र यशपाल सिंह निवासी तिलफरा ऐनाबाद थाना ननौता जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अर्जुन सिंह पुत्र यशपाल निवासी तिलफरा ऐनाबाद थाना ननौता जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विपिन मलिक थाना नांगल जनपद सहारनपुर
3. है0का0 528 बिटटू मय का0 1830 शुभम कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांकः **19.09.2024**

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष 04 माह का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः -</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 11.06.2023 को वादी उ0नि0 श्री संजय शर्मा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त नवाब उर्फ सोनू पुत्र इरफान निवासी थाना घानाघण्डी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर के कब्जे से 230 ग्राम चरस बरामद होने पर मु0अ0सं0 207/23 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना को0 देहात पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 1918/23 पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 19.09.2024 को **अभियुक्त नवाब उर्फ सोनू पुत्र इरफान निवासी थाना घानाघण्डी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर को मु0अ0सं0 207/23धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में जुर्म इकबाल के आधार पर 01 वर्ष कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभि0 थाना स्तर पर एच0एस0 है।**

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) रितु गर्ग
विवेचक उ0नि0 श्री दीपचन्द
पैरोकार का0 2328 कौशल भारद्वाज थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।